

अध्याय—I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य¹ की जनसंख्या 2011 में 19.98 करोड़ से बढ़कर 2020 में 22.79 करोड़ हो गई और इसमें भारत की दशकीय वृद्धि दर 11.25 प्रतिशत के सापेक्ष 14.08 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है जो बड़े पैमाने पर कृषि द्वारा संचालित है तथा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की आधी है। वर्ष 2018–19 की अवधि में राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर ₹ 66,512 थी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ 1,26,406) से 47 प्रतिशत कम थी। कृषि सबसे बड़ा नियोक्ता² है, जो हर तीन कामगारों में से दो को रोजगार देता है। यह दलहन, दुग्ध, गेहूं, गन्ना, मक्का, आलू, आम, चमड़ा और हस्तशिल्प का प्रमुख उत्पादक है। 2011–12 में गरीबी रेखा³ से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 29.43 प्रतिशत था। 2011 की जनगणना में साक्षरता दर⁴ 67.7 प्रतिशत थी; यद्यपि यह वर्ष 2011 की जनगणना में अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत नीचे थी।

तालिका 1.1 सामान्य आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी
2	जनसंख्या		
	अ.	2011 की जनगणना के अनुसार	19.98 करोड़
	ब.	वर्ष 2020	22.79 करोड़
3	अ. जनसंख्या का घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)		690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ब.	जनसंख्या का घनत्व ⁵ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) ³ (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		29.43 प्रतिशत
5	अ. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)		56.3 प्रतिशत
	ब.	साक्षरता ⁶ (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत

¹ भारत और राज्य के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011–36 (नवंबर 2019), तालिका 8, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या पर गठित तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट।

² <http://up.gov.in/social-demography.pdf>

³ भारतीय रिजर्व बैंक, तालिका 162 (गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की संख्या और प्रतिशत, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/publications/PDFs/162_BST130913.pdf)

⁴ आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश एक नज़र में 2019।

⁵ आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 'एक नज़र में 2019' (updes.up.nic.in)

⁶ आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश 'एक नज़र में 2019' (updes.up.nic.in)।

क्रम संख्या	विवरण	आंकड़े
6	शिशु मृत्यु दर ⁷ (2018) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 32 प्रति 1000 जीवित जन्म)	43 प्रति 1000 जीवित जन्म
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁸ (2013-17) (अखिल भारतीय औसत = 69 वर्ष)	65 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 17,94,508 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2019-20)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी के राज्य 10.32 10.53
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2019-20)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी के राज्य 12.01 11.98
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि ⁹ (2011 से 2020)	उत्तर प्रदेश सामान्य श्रेणी के राज्य 14.08 प्रतिशत 11.13 प्रतिशत

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समय अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतयः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं।

वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दी गयी है।

तालिका: 1.2 वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी¹⁰ की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	11,37,808	12,90,289	14,60,443	16,68,229	17,94,508
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.45	13.40	13.19	14.23	7.57

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

⁷ Census india.gov.in/vital-statistics/SRS-Report 2018.

⁸ कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित जीवन तालिका 2013-17।

⁹ भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036 (तालिका 8)

¹⁰ वर्ष 2015-16 से 2018-19 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, अतः पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदनों में 2015-16 से 2018-19 के जीडीपी/जीएसडीपी के सन्दर्भ में दर्शाये गए प्रतिशत अनुपात/उछाल अनुपात भी संशोधित हो गए हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएसपीआई/जीओआई) की वेबसाइट पर 31.07.2020 तक के जीएसडीपी विवरण को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। जीडीपी एमओएसपीआई द्वारा दिनांक 29.05.2020 को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार है।

वर्ष 2018–19 की अवधि में जीएसडीपी की वृद्धि दर 14.23 प्रतिशत थी और 2015–19 की अवधि में मुख्यतः वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई परन्तु 2019–20 की अवधि में घटकर 7.57 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, 2015–20 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक थी। 2015–16 में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान की 2019–20 के उसी के साथ तुलनात्मक स्थिति चार्ट 1.1 में दी गई है।

चार्ट 1.1: जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015–16 से 2019–20)



स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि (पशुपालन सहित), वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्थनन आदि सम्मिलित हैं, उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवायें एवं निर्माण सम्मिलित हैं तथा सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त सेवायें, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवायें सम्मिलित हैं।

जीएसडीपी में क्षेत्रीय वृद्धि

सभी क्षेत्रों की क्षेत्रवार वृद्धि को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: क्षेत्रवार वृद्धि दर: 2015–16 से 2019–20



स्रोत: अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर में गिरावट विशेषकर 2017–18 से देखी गई जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पांच वर्ष की अवधि में लगभग स्थिर रही है। उद्योग और कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में 2017–20 की अवधि में गिरावट के कारण राज्य की जीएसडीपी वृद्धि मंद होकर वर्ष 2019–20 में 7.57 प्रतिशत हो गई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखे के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखे की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस),
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

चौदहवें वित्त आयोग (एफसी), राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों की संस्तुतियों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया था।

मसौदा प्रतिवेदन 22 फरवरी 2021 को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण और अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है तथा शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - II	राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015–16 से 2019–20 की अवधि में समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के वित्त लेखे के आधार पर राज्य के ऋण विवरणिका लोक लेखे के प्रमुख लेनदेनों का विश्लेषण करता है।
अध्याय - III	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन

	पर आख्या देता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा के संबंध में टिप्पणियों जैसे विधि के प्राधिकार के बिना व्यय, पूँजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, अनावश्यक अथवा अत्यधिक अनुपूरक अनुदान, अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोजन, व्याधिक्य और उसका नियमितीकरण, पारदर्शिता और बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय - IV	लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन प्रथाएं यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।
अध्याय - V	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में राज्य सरकार के निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखे को प्रस्तुत करने की स्थिति, इकिवटी और नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि पर चर्चा की गई है।

1.4 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों एवं तरीके के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभाव होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित कर की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा

किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनकी अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

भारत में यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर—राजस्व, गैर—कर राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश, और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:


- ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली।

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और सरकार द्वारा पीएसयू एवं अन्य इकाईयों को ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन—देन की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्षों की केन्द्र एवं राज्य के लेखों की सूची (एलएमएमएच) में मानकीकृत	कार्य—शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष (4—अंकीय)
	उप—कार्य	उप मुख्य लेखाशीर्ष (2—अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3—अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2—अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2—अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक शीर्ष—वेतन, लघु कार्य, आदि (2—अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4—अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक तर्क द्वारा प्राप्त होता है। मानक शीर्ष बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।



वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है:

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखे के साथ राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता और परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय में कमी के रूप में लेखांकन के पश्चात दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारित विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। यह लेखे निधियों के उपयोग को समझाने में सहायता करते हैं, वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार उक्त विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदानों हेतु मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा वांछित धन के संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत पारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को उसके बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों के अनुश्रवण में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य

सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

राजकोषीय परिचालनों का सारांश, वित्तीय स्थिति, बजट अनुमानों का वास्तविक उपलब्धि से तुलना का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है। राजकोषीय संकेतकों अर्थात् राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा की स्थिति की चर्चा इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.7 में की गई है। तालिका 1.3 वर्ष 2019–20 हेतु बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2019–20 के वास्तविकों से तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (पुनरीक्षित अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	स्वयं का कर राजस्व	1,40,176.00	1,34,038.94	1,22,825.83	87.62	6.84
2.	गैर-कर राजस्व	30,632.96	31,375.92	81,705.08 ¹¹	266.72	4.55
3.	संघीय करों / शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,35,312.19	1,17,818.30	77.07	6.57
4.	सहायता अनुदान और अंशदान	68,062.27	69,538.4	44,043.97	64.71	2.45
5.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	3,91,734.40	3,70,265.45	3,66,393.18	93.53	20.42
6.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर ऋण पूँजीगत प्राप्ति)	5,681.60	5,681.6	5,640.58	99.28	0.31
7.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	73,268.48	63,268.48	73,808.69	100.74	4.11
8.	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7)	78,950.08	68,950.08	79,449.27	100.63	4.43
9.	कुल प्राप्तियां (5+8)	4,70,684.48	4,39,215.53	4,45,842.45	94.72	24.84
10.	राजस्व व्यय जिसमें से	3,63,957.04	3,43,983.28	2,98,833.04	82.11	16.65
11.	ब्याज भुगतान	35,373.92	34,562.53	34,813.02	98.41	1.94
12.	पूँजीगत व्यय जिसमें से	80,369.58	82,368.80	62,118.03	77.29	3.46
13.	पूँजीगत परिव्यय	77,641.13	79,010.91	59,998.03	77.28	3.34
14.	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,728.45	3,357.89	2,120.00	77.70	0.12
15.	कुल व्यय (10+12)	4,44,326.62	4,26,352.08	3,60,951.07	81.24	20.11
16.	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) अधिशेष (5-10)	27,777.36	26,282.17	67,560.14	243.22	3.76
17.	राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (5+6-15)	(-)46,910.62	(-)50,405.03	11,082.69	-	0.62
18.	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+) ¹² {(5+6)- (15-11)}	(-)11,536.70	(-)15,842.50	45,895.71	-	2.56

स्रोत: 2019–20 के वित्त लेखे और राज्य सरकार के बजट अभिलेख

2019–20 के दौरान राज्य सरकार ने निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के खाता शेष को प्राप्ति खाते में स्थानान्तरित किया। बिना वास्तविक धनराशि प्राप्ति के असाधारण लेन देन के कारण इससे राज्य का राजस्व एवं राजकोषीय अधिशेष प्रभावित

¹¹ गैर कर राजस्व में निक्षेप निधि के बुक बैलेन्स ₹ 71,180.23 करोड़ का मार्च 2020 में अंतरण सम्मिलित है।

¹² राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियां घटाकर।

हुआ। अतः 2019–20 के दौरान ₹ 67,560 करोड़ के राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,083 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के राजस्व प्राप्तियों में हस्तांतरण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि प्रस्तर 2.5.2.1 में विस्तार से चर्चा की गई है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे सरकार के वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से निर्मित संपत्तियों को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, और संपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं नकद शेष सम्मिलित होते हैं।

31 मार्च 2019 की तुलना में 31 मार्च 2020 को देयताओं और संपत्तियों का सारा तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसंपत्तियां			
विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	प्रतिशत वृद्धि / कमी	विवरण	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	प्रतिशत वृद्धि / कमी
संचित निधि							
अ	आंतरिक ऋण	3,53,189.92	4,05,048.84	14.68	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	5,21,867.09
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	11,979.59	11,528.75	-3.76	ब	ऋण और अग्रिम	30,709.56
स	आकस्मिकता निधि (कार्पस)	600.00	600.00	0.00	स	आकस्मिकता निधि (अप्राप्त)	629.73
आकस्मिकता निधि							
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि ।	54,413.34	57,727.01	6.09	अ	अग्रिम	75.34
ब	निक्षेप	25,687.88	23,581.17	-8.20	ब	प्रेषण	113.09
स	आरक्षित निधि	72,824.77	4,526.25 ¹³	-93.78	स	उच्चत एवं विविध	3,081.44
द	प्रेषण	0.00	200.41	-	द	नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)	26,912.11
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	64,692.86	1,32,253.00	104.43	य	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	-
योग		5,83,388.36	6,35,465.43		योग	5,83,388.36	6,35,465.43

स्रोत: 2019–20 के वित्त लेखे

2019–20 के दौरान व्यय से प्राप्तियों में संचयी आधिक्य में वृद्धि का मुख्य कारण राज्य के आरक्षित निधि के अन्तर्गत निक्षेप निधि के समस्त अवशेष (₹ 71,180.23 करोड़) का गैर कर राजस्व मद में लेखांतरण था। इस लेने देने में राज्य सरकार को कोई नगद राशि प्राप्त नहीं हुयी थी।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल दायित्व का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत दायित्व है। राज्य सरकार 2017–19 की अवधि में देयताओं को जीएसडीपी के

¹³ आरक्षित निधि में कमी मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया बुक बैलेन्स को गैर-कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थी।

30.50 प्रतिशत तक सीमित नहीं रख सकी जैसा कि यूपी एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित है। वर्ष 2017–18 और 2018–19 की अवधि में कुल दायित्व क्रमशः ₹ 4,67,842.18 करोड़ (जीएसडीपी का 32.03 प्रतिशत) एवं ₹ 5,18,095.50 करोड़ (जीएसडीपी का 31.06 प्रतिशत) रहा। तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल दायित्व ₹ 5,02,412.02 करोड़ (जीएसडीपी का 28 प्रतिशत) रहा जो यूपी एफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित लक्ष्य (जीएसडीपी का 30.00 प्रतिशत) के अन्दर था।

1.5 राजकोषीय अवशेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2004 (यूपीएफआरबीएम) को एक मध्यम अवधि में राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक सीमित करके बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित कर एवं पारदर्शिता में सुधार कर राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

समय—समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में दिए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का 2015–20 की अवधि में राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2015-16	2016-17	2017-18	2015-16	2019-20
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष	14,340	20,283	12,552	28,250	67,560
		✓	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) ¹⁴ (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	तीन प्रतिशत	-34,143 3.00	-41,187 3.19	-27,810 1.90	-35,203 2.11	+11,083 0.62
		✓	X	✓	✓	✓
		32.28	32.80	32.03	31.06	28.00
कुल बकाया ऋण ¹⁵ का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2015–16 और 2016–17 में 31 प्रतिशत, 2017–18 और 2018–19 में 30.50 प्रतिशत तथा 2019–20 में 30.00 प्रतिशत	X	X	X	X	✓

नोट: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 और यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2016 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेख

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात बजट अनुमानों/एमटीएफआरपी, यूपीएफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर था। राजकोषीय घाटा अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखने के लक्ष्य के विरुद्ध, राजकोषीय अधिशेष (₹ 11,083 करोड़) था जो जीएसडीपी का 0.62 प्रतिशत था। कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (28.00 प्रतिशत) बजट अनुमान/एमटीएफआरपी (29.98 प्रतिशत), यूपीएफआरबीएम अधिनियम (30.00 प्रतिशत) एवं चौदहवें वित्त आयोग (31.67 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कम था। राज्य का

¹⁴ 2015–17 की अवधि में उदय योजना पर व्यय के अतिरिक्त।

¹⁵ 2015–17 की अवधि में कुल अवशेष ऋण में उदय योजना का ऋण सम्मिलित है।

राजस्व अधिशेष 2018–19 के ₹ 28,250 करोड़ (जीएसडीपी का 1.69 प्रतिशत) से बढ़कर 2019–20 में ₹ 67,560 करोड़ (जीएसडीपी का 3.76 प्रतिशत) हो गया।

राज्य ने वर्ष 2019–20 की अवधि में एमटीएफआरपी (₹ 27,777 करोड़) और पुनरीक्षित बजट (₹ 26,282 करोड़) में प्रस्तावित राजस्व अधिशेष के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 2018–19 में ₹ 3,161 करोड़ (जीएसडीपी का 0.19 प्रतिशत) का प्राथमिक घाटा 2019–20 में ₹ 45,896 करोड़ (जीएसडीपी का 2.56 प्रतिशत) के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। तथापि, वर्ष 2019–20 की अवधि में इन उपलब्धियों को निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ राज्य की राजस्व प्राप्ति में बिना नगद प्राप्ति हस्तांतरण के साथ देखा जाना चाहिए।

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2019 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2019–20 की वास्तविक की तुलना तालिका 1.6 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.6: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2019–20 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)				
क्रम संख्या	राजकोषीय चर मर्दे	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,40,176.00	1,22,825.83	-12.38
2	करेतर राजस्व	30,632.96	81,705.08 ¹⁶	166.72
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,17,818.30	-22.93
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	68,062.27	44,043.97	-35.29
5	राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)	3,91,734.40	3,66,393.18	-6.47
6	राजस्व व्यय	3,63,957.04	2,98,833.01	-17.89
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	27,777.36	67,560.17	143.22
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)46,910.62	11,082.69	123.63
9	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)11,536.70	45,895.71	497.82
10	ऋण स्टॉक—जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	29.98	28.00	-6.60
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) ¹⁷	7.00	7.57	8.14

नोट: वित्त लेखे 2019–20 एवं सज्य सरकार के बजट अभिलेख।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि:

- एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में कमी संघीय करों/शुल्कों के अंशों के कारण (₹ 35,044.87 करोड़), भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 24,018.30 करोड़) और स्वयं के कर राजस्व (₹ 17,350.17 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण थी। अग्रेतर विश्लेषण से विदित हुआ कि स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹ 17,350.17 करोड़) मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,748 करोड़) तथा इसके बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,143 करोड़), राज्य

¹⁶ निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बुक बैलेन्स को करेतर राजस्व में अंतरण को सम्मिलित करके।


¹⁷ एमटीएफआरपी 19 में राज्य सरकार ने वर्ष 2018–19 में पुनरीक्षित अनुमान ₹ 14,76,455 करोड़ वर्ष 2019–20 के लिए ₹ 15,79,807 करोड़ जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

आबकारी (₹ 4,192 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 3,109 करोड़), भू-राजस्व (₹ 352 करोड़) और वाहनों पर कर (₹ 149 करोड़) के अन्तर्गत थी। इसके अतिरिक्त गैर-कर राजस्व, में एमटीएफआरपी की तुलना में सकारात्मक विचलन प्रदर्शित हुआ परन्तु यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था। यदि इस अंतरण को गैर-कर राजस्व से बाहर रखा जाता है, तो यह घटकर वास्तविक रूप से ₹ 10,524.85 करोड़ पर आ जाएगा जो एमटीएफआरपी में अनुमानित राशि से अत्यन्त कम (65.64 प्रतिशत) है।

- राजस्व व्यय में तीनों क्षेत्रों में कमी देखी गई: (i) सामान्य सेवाएं (₹ 31,998 करोड़; मुख्य रूप से ऋण में कमी या बचाव गैर-विनियोग के कारण ₹ 21,857.01 करोड़), (ii) सामाजिक सेवाएं (₹ 24,900 करोड़; मुख्य रूप से शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति खंड में ₹ 6,360.30 करोड़, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण खंड में ₹ 2,982.15 करोड़ एवं जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास खंड में ₹ 7,790.41 करोड़) और (iii) आर्थिक सेवाएं (₹ 8,227 करोड़; मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में ₹ 2,228.81 करोड़, ग्रामीण विकास में ₹ 5,682.05 करोड़)।
- एमटीएफआरपी में अनुमानित आंकड़ों के सापेक्ष राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे की सूचित वास्तविक प्राप्तियाँ सकारात्मक थी। यह मुख्य रूप से निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण के कारण था।


1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

मुख्य राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा मानदंडों (राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा एवं प्राथमिक घाटा), जीएसडीपी से अधिशेष/घाटे एवं जीएसडीपी से राजकोषीय देयताओं के अनुपात के प्रवृत्ति विश्लेषण को 2015–20 निम्नलिखित चार्ट 1.3 से 1.5 में दर्शाया गया है।




नोट: वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु क्रमशः ₹ 67,560 करोड़ एवं ₹ 11,083 करोड़ क्रमशः राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को गैर-कर राजस्व में अंतरण के कारण था।

चार्ट 1.4: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष / घाटे में प्रवृत्ति



नोट: 2019–20 की अवधि में राजस्व अधिशेष, राजकोषीय अधिशेष एवं प्राथमिक अधिशेष को मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180.23 करोड़ के बकाया शेष को गैर-कर राजस्व में अंतरण के संयोजन के आलोक में पढ़ना चाहिए।

चार्ट 1.5: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी में प्रवृत्ति



2015–19 की अवधि में राज्य के लम्बित राजकोषीय देयता में ₹ 1,50,844 करोड़ (41.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2019–20 की अवधि में यह विगत वर्ष से 3.03 प्रतिशत (₹ 15,683 करोड़) घटकर ₹ 5,18,095 करोड़ के स्थान पर ₹ 5,02,412 करोड़ हो गयी।

2015–19 की अवधि में प्रति व्यक्ति औसत ऋण¹⁸ उल्लेखनीय रूप से 35.39 प्रतिशत (₹ 17,103 से ₹ 23,156) बढ़ गया एवं 2018–19 में ₹ 23,156 से 4.30 प्रतिशत घटकर 2019–20 में ₹ 22,161 हो गया।

¹⁸ पिछले कैलेंडर वर्ष की जनसंख्या से विभाजित ऋण; किसी विशेष कैलेंडर वर्ष में जनसंख्या उस वर्ष के अक्टूबर माह के प्रथम दिवस की जनसंख्या होती है।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रेतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ मुद्दों यथा निक्षेप निधि के शेष का राजस्व प्राप्ति लेखे में अंतरण, राजस्व व्यय का पूँजीगत के रूप में त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण, गैर बजट राजकोषीय परिचालन, 'उत्तर प्रदेश दुर्घटना राहत कोष' में राशि का विनियोग न करना, व्याज युक्त आरक्षित निधियों में व्याज का जमा न किया जाना, आदि एवं प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में चर्चा किये गए अन्य मुद्दे वित्त लेखे 2019–20 में उल्लिखित राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष पर प्रभाव डालते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों का निर्धारण करने हेतु उपर्युक्त मामलों का समाधान एवं वास्तविक घाटा का मूल्यांकन करने में उचित संज्ञान लिया जाना चाहिए।

उपरोक्त मुद्दों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष क्रमशः ₹ 14,236.02 करोड़ और ₹ 14,151.01 करोड़ का अतिरेक हुआ है जिसे तालिका 1.7 में आगामित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटे

विवरण	(₹ करोड़ में)					
	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव	राजकोषीय अधिशेष पर प्रभाव	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
पूँजीगत के स्थान पर राजस्व मद के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मद (प्रस्तर 3.2.2.3 में सन्दर्भित)	-	7.21	-	-	-	-
राजस्व के स्थान पर पूँजीगत मद के अन्तर्गत लेखांकित किये गये मद (प्रस्तर 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2 में सन्दर्भित)	92.22	-	-	-	-	-
व्याज युक्त आरक्षित निधि शेष (राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि) पर व्याज का भुगतान न किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.4 में सन्दर्भित)	31.69	-	31.69	-	-	-
निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति के रूप में संबंधित निधि में अंतरित धनराशि । (प्रस्तर 2.5.2.1 में सन्दर्भित)	13,877.20 (*)	-	13,877.20 (*)	-	-	-
आरक्षित निधि शेष (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष) पर व्याज का भुगतान न किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.2 में सन्दर्भित)	1,616.55	-	116.55	-	-	-
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना (प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)	125.57	-	125.57	-	-	-
योग	14,243.23	7.21	14,151.01			
शुद्ध प्रभाव	14,236.02 (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		14,151.01 (राजकोषीय अधिशेष का अतिरेक)			

(*) इसके अतिरिक्त, निक्षेप निधि से ₹ 57,303.03 करोड़ को राजस्व प्राप्तियों में 2019–20 में बिना वास्तविक धन प्राप्ति के अंतरित किया जाना प्राप्ति की एक असाधारण मद थी।

स्रोत: वित्त लेखे 2019–20 और लेखा परीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जांच के बाद
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	67,560.14	14,236.02	53,324.12
2	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	11,082.69	14,151.01	(-) 3,068.32

ज्ञात: लेखापरीक्षा विश्लेषण।

1.6.2 लेखापरीक्षा के उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋणों के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त ‘कुल बकाया लोक ऋण’ की व्यापक परिभाषा में गैर-बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर-बजट ऋण या गैर-बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है। इसलिए, गैर-बजट ऋणों/वित्तपोषण में एक तो आवर्ती आधार पर ब्याज का भुगतान और दूसरा ऋण, जैसे और जब वह देय हों, का बजट से पुनर्भुगतान सम्मिलित होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। जिससे गैर बजट ऋणों का राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है। बजट में प्रकट किए बिना ऐसे देयताओं का सूजन पारदर्शिता और भावी पीढ़ी की सहभागिता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर-बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से पाया गया कि 2017–19 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 6,494.00 करोड़ के गैर बजट ऋण का सहारा लिया। इस प्रकरण पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है। गैर बजट ऋणों के कारण, समग्र ऋण में जीएसडीपी के कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार 31.03.2020 को समग्र ऋण	5,02,412.02	28.00
2.	गैर बजटीय ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	5,107.58	0.28
	योग	5,07,519.60	28.28

ज्ञात: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों द्वारा प्रदत्त सूचनायें।

तालिका 1.9 से यह स्पष्ट है कि गैर-बजट ऋणों के कारण जीएसडीपी से ऋण-स्टाक का अनुपात 28.00 प्रतिशत से बढ़कर 28.28 प्रतिशत हो गया है।

अग्रेतर, इन गैर बजटीय ऋणों के ऋणमुक्त किये जाने हेतु निक्षेप निधि का गठन नहीं किया गया था क्योंकि लेखों के अनुसार इन्हें राज्य सरकार के समग्र ऋण में सम्मिलित नहीं किया गया है।